न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 300/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/375**
दायर दिनांक :– 11.10.2022 **निर्णय दिनांक :– 14.08.2025**

1. कालूराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. पप्पुराम पुत्र भगवान जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. भागीरथ पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भोमाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. उगमाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. उमाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. केशु पत्नी धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. किसनाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. गवरी पत्नी अलसाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. तीजा पुत्री धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. दीपाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. पूनाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. भंवरलाल पुत्र भगवान जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. मोहनराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. रूखी पत्नी भगवान जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. रामुराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. श्रीराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. सुगनी पुत्री धनाराम जाति जाट निवासी साजनगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. पवनकुमार पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी धोलियाडेर तहसील खींवसर जिला नागौर

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधि. अ. संख्या 15

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 25.3333 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 535 रकबा 1.1979 सरहद मौजा साजननगर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली तथा प्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 ता 11 व 13 की संयुक्त खातेदारी काश्त भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 2.6958 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 538 रकबा 4.3058 हैक्टेयर सरहद मौजा साजननगर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील

14/8/25

घंटियाली में सथत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का आपसी सहमति का मौके पर हिस्से अनुसार मौखिक बंटवाड़ा पूर्व में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर लिया था। उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार ही मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला हा रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी की अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त की भूमि को छोड़कर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी द्वारा आधुनिक तरीके से तैयार की गई भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से प्रार्थी को काश्त करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये बंटवाड़े का वाद पेश किया है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अपार्थीगण के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थी के हिस्से व प्रार्थी द्वारा तैयार की गई भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदजाी न तो अप्रार्थीगण स्वय करे न ही किसी अन्य से करावें जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 15 की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़ ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम साजननगर पटवार हल्का चाम्पासर के खाता संख्या 16, 44 सम्वत् 2077–80 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार होने से वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक किस खातेदार के हिस्से में किस स्थान पर भूमि बंट में आती है जिसका निर्धारण विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही तय

किया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बेचान/हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को क्षति होगी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विभाजन के हिस्से को लेकर विवाद के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना–पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम साजननगर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 534 रकबा 25.3333 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 रकबा 2.6952 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 538 रकबा 4.3058 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्सा तक ता फैसला दावा दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)